

कार्य अहवाल

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

दान्नालाल बनाम तहशीलदार ~~देवी सिंह~~

किरम मुकदमा ११०५३ 181 2015

दिनांक	हुयम या कार्यवाही मग इतिहास जख	दिनांक
--------	--------------------------------	--------

-4-15 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जोग प्रस्तुत हुआ वहां सेलेक्टर किया जाकर विपक्षीयता को समान नोटिस जारी किया जाये । पत्रावली दिनांक 15.5.15 पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

18.6.15 पत्रावली नमीम डिफेंस केट केस पर पेश।

पक्षों के मुक्त गवा. प्रतिवादी का जवाब एवं मोबा रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रकरण में पक्षों का कबजा उ.न. 1429/1 शकबा 3.13 किरमाले दक्षिण दिशा में होना प्रकट होता है नकशे में वर्तमान तस्मीम के स्थान पर गोवला मण्डल बनाई जाये।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रमाण के कबजा अनुसार उ.न. 1429/1 से शकबा 02 की हाथ में अशुद्धित तस्मीम की जाये। तहशीलदार के पालन हेतु निर्णय की प्रति भिजावाई जाये।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली करल शुमार हो करण मूर से काम हो।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल